



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
छठवाँ तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-

-अ-2/सी०ई०एच०/2011

दिनांक 4-6, 2011

कार्यालय ज्ञापन

याचिका सं० 8345(एस/एस)/10 के संदर्भ में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2011 को पारित आदेशों के संदर्भ में पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एस०ई० एण्ड एम०ई०एस० रेगुलेशन-1972 5 बी (II) सपटित विनियम-17 एवं 18 (यथा संशोधित नियम) में निहित प्राविधानों के अनुसार उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० तथा उसके सहयोगी वितरण निगमों के अधीन अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी), (विद्युत एवं यांत्रिक) के पद हेतु विद्युत सेवा आयोग लखनऊ के पत्रांक-432-वि०से०आ०/टी०जी०-2 से अवर अभियन्ता दिनांक 12.05.2011 द्वारा चयनित अधोनामित अभ्यर्थी को एतद्वारा उ०प्र० पाकालि तथा उसके सहयोगी वितरण निगमों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण की तिथि से ग्रेड वेतन रू० 4200 तथा पे बैण्ड-।। रू० 9300-34800 में प्रविष्टि वेतन रू० 9860/- पर स्थानापन्न एवं अस्थाई अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित निगम में अग्रेतर तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	कन्ट्रोल संख्या	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/गृह जनपद/वर्ग	जन्मतिथि	वर्तमान नव तैनाती इकाई	नव आवंटित इकाई का नाम
1	2	3	4	5	6
1	22275	श्री प्रदीप कुमार शुक्ला पुत्र स्व० श्री स्वामी दयाल शुक्ला / लखनऊ / सामान्य	12.07.1958	वि०वि०ख०, बी०के०टी०, लेसा लखनऊ	प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल वि०वि०नि०लि०, लखनऊ

उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है :-

- इनकी पारस्परिक वरिष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
- नव-तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण/स्वीकृत करते समय अधीक्षण अभियन्ता अधोलिखित सूचना/प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी से दोनों प्रतियों में प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे जिसकी एक प्रति अधीक्षण अभियन्ता अपने कार्यालय में तथा एक प्रति मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पाकालि, लखनऊ को रिकार्ड के लिए प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
 - सेवा-पुस्तिका की प्रविष्टियों के आधार पर कार्मिक की जन्म-तिथि तथा गृहजनपद की पुष्टि हेतु हाईस्कूल एवं शैक्षिक योग्यता हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्र का सेवा पुस्तिका के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता सत्यापन करके प्रति इत्यादि प्रेषित करेंगे।
 - नियुक्त कार्मिक अपनी योगदान आख्या के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/घोषणापत्र नव तैनाती स्थल/कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

- (ग) शादीशुदा होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी होने की घोषणा।
- (घ) कारपोरेशन/वितरण निगम/ट्रांस्को की सेवाओं में कार्यरत होने सम्बन्धी घोषणा।
- (च) समस्त चल/अचल सम्पत्ति की घोषणा।
- (छ) विभागीय/अन्य श्रोतों से लिए गये ऋण की घोषणा।
- (ज) राजनीतिक दलों से सम्बद्धता न होने विषयक घोषणा-पत्र।
- (झ) कारपोरेशन/वितरण निगम/ट्रांस्को के प्रति निष्ठावान होने की घोषणा।

3. कार्यमुक्ति आदेश निर्गत करने के साथ सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेगा कि सम्बन्धित कार्मिक की कार्यमुक्त होने की तिथि तक कारपोरेशन/निगम की सेवाओं में निरन्तरता थी तथा इस सम्बन्ध का प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में जारी किया जायेगा जिसे सम्बन्धित कार्मिक अपने कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी को योगदान आख्या के साथ प्रस्तुत करेगा।
4. यदि पूर्व लाइसेन्सी का कार्मिक है तो उसे लाइसेन्सी के समस्त दावों को छोड़कर कारपोरेशन/निगम की सेवा शर्तों एवं नियमों आदि को अंगीकार करना होगा।
5. टंकण की किसी त्रुटि के कारण सम्बन्धित प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के अनुसार संशोधन योग्य होगी।
6. कार्मिक की यह नियुक्ति पूर्णरूप से अस्थायी है जो किसी भी समय बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक उपरोक्त आवंटित कार्मिकों की तैनाती अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।
8. सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक उपरोक्त कार्मिक को अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि कार्मिक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही/जॉच इत्यादि लम्बित तो नहीं है।
9. कार्मिक को अपनी योगदान आख्या संलग्न निर्धारित प्रारूप पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति सीधे इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक : यथोपरि।

डी०सी०जैन
मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)

संख्या : /अ-2/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्न के सादर अवलोकनार्थ :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. निजी सचिव, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

/ (ए०के० पाण्डेय)
वैयक्तिक सहायक-षष्ठम
कृते मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)

संख्या : 795/अ-2/तददिनांक : 4-06-2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
2. महानिदेशक प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
3. सचिव, विद्युत सेवा आयोग उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, (वितरण), लेसा क्षेत्र, लखनऊ
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता वितरण स्कंध उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
6. श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, टी०जी०-११ पुत्र स्व० श्री स्वामी दयाल शुक्ला, सरोजनीदेवी धर्मशाला, 2 शिवालीमार्ग, हीवेट रोड, लखनऊ।
7. श्री संचित शंकर अस्थाना, अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय 8 फैजाबाद रोड, लखनऊ को याचिका सं० 8345(एस०एस०)/10 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अधीक्षण अभियन्ता (यूनीफाइड) शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर शीघ्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत


(ए०के० पाण्डेय)

वैयक्तिक सहायक-षष्ठम
कृते मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)